

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 24.07.2024

जमीन दिलाने का झांसा देकर, धोखाधड़ी कर 43 लाख 75 हजार रूपये गबन करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में व0उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2024 धारा 420,406,323,504,506,120बी भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पासवान पुत्र हरिलाल पासवान निवासी ग्राम माड़ापार थाना एम्स जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त सुनील उपरोक्त द्वारा वादी से धोखाधड़ी करते हुए जमीन दिलाने के नाम पर 43,75,000 रू0 ले लेने, जमीन न दिलाने पर पैसे वापस मांगने पर गाली गुफ्ता देते हुए मार-पीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सुनील कुमार पासवान पुत्र हरिलाल पासवान निवासी ग्राम माड़ापार थाना एम्स जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 134/2024 धारा 420,406,323,504,506,120बी भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 राजेश कुमार यादव, थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।
2. कां0 मुकेश कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर